

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

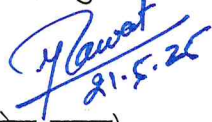
क्रमांक बी/3017
(III-18-188/76)

जबलपुर, दिनांक 21 मई, 2025

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/2957/तीन-18-188/76, दिनांक 17/05/2025, जहां तक उसका संबंध जिला स्थापना एवं कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत् ऐसे कर्मचारीगण जिनका वेतनमान छठवे वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड-पे रूपये 3600/- एवं उससे अधिक है, ऐसे कर्मचारियों को एक सप्ताह के स्थान पर दो सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं रूपये 3600/- ग्रेड-पे से कम वेतनमान प्राप्त करने वाले समस्त कर्मचारियों को (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) एक सप्ताह के स्थान पर 10 दिवस का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किये जाने से संबंधित है, एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाता है।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में पूर्ववत् रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक बी/3358/तीन-18-188/76, दिनांक 05/07/2018 प्रभावशील रहेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(मुकेश रावत)

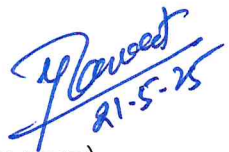
रजिस्ट्रार {जिला स्थापना}

पृष्ठांक. बी/3018
(III-18-188/76)

जबलपुर, दिनांक 21 मई, 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (राज्य के समस्त),
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (राज्य के समस्त),
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री संजय सूरौठिया, प्रांताध्यक्ष, म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ, टीकमगढ़ की ओर उनके पत्र दिनांक 15/05/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।


(मुकेश रावत)

रजिस्ट्रार {जिला स्थापना}